न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 288/2023 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/263**
दायर दिनांक :– 03.11.2023 **निर्णय दिनांक :– 24.04.2025**

1. बंसती पुत्री जोगराज पत्नी अचलदास जाति महाजन निवासी रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी हाल निवासी कंसरो का धोरा बालोतरा जिला बालोतरा

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मदनलाल पुत्र जोगराज जाति महाजन निवासी रोहिणा तह. घंटियाली जिला फलोदी
2. विजयकुमार पुत्र जोगराज जाति महाजन निवासी रोहिणा तह. घंटियाली जिला फलोदी
3. मोहनराम पुत्र गुलाबाराम जाति जाट निवासी कृष्णनगर तह. आउ जिला फलोदी
4. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधि. प्रार्थी
2 श्री राणीदानसिंह अधिवक्ता अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में मजबूत आधारों का एक नियमित राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। उक्त वाद में वर्णित तथ्यों एवं दस्तावेजात से प्रार्थीगण का वाद प्रथम दृष्टया ही साबित है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा व काश्त होने से सुविधा का तुलनात्मक संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। यदि प्रार्थीगण को अपने हिस्से की कब्जा काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 द्वारा बेदखल कर दिया जाता है तो उससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मुल्यांकन रूपयों में किया जाना संभव नहीं है। इस प्रकार नैसर्गिक न्याय के तीनों आधारभूत सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में होने से उक्त वाद में प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी–पूरी उम्मीद है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 की पैतृक खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खेत खसरा नम्बर 230/2 रकबा 8.2556 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 230 रकबा 4.1925 हैक्टेयर ग्राम रोहिणा पटवार क्षेत्र रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में प्रर्थीया एंव अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता जोगराज पुत्र जेठमल के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जोगराज फौत हो चुके है। जोगराज के हिस्से की भूमि में जोगराज के वारिसान प्रार्थीगया व अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 का पैतृक हिस्सा निहित है और इसी हिस्से अनुसार ही मौके पर काबिज है उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का जन्म से हक व हिस्सा बनता है लेकिन जब जोगराज फौत हुवे तो अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 व माता पानी बाई ने पटवारी हल्का से मिलावट कर जोगराज की पुत्री प्रार्थीया से बाले बाले मुतवफी जोगराज विरासत नामान्तरकरण संख्या 277 मौजा रोहिणा जोगराज की पुत्री प्रार्थीया को शामिल किये वगेर ही अपने अकेलों के नाम से भरवा कर सरासर गलत तरीके से स्वीकृत करवा लिया जबकि प्रार्थीया भी जोगराज की जायन्दा वारिसान पुत्री है। प्रार्थीगया एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की माता पानी बाई जब फौत हुई तो

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

मुतवफी पानी बाई का विरासत नामान्तरकरण संख्या 816 मौजा रोहिणा भी प्रार्थीया को शामिल किये वगैर ही अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा तत्कालीन पटवार हल्का से मिलावट कर अपने नाम से सरासर गलत रूप से भरवा कर स्वीकृत कर लिया जबकि प्रार्थीया जोगराज एवं पानी बाई की जायन्दा वारिसान है और उक्त भूमि पर प्रार्थीगया का अपने पैतृक 1/3 हिस्से पर कब्जा व काश्त आज दिन तक लगातार शांतिपूर्वक चला आ रहा है। इसलिये प्रार्थीया नामान्तरकरण संख्या 277 व 816 मौजा रोहिणा को निरस्त करवा कर ग्राम रोहिणा पटवार हल्का रोहिणा तहसील घंटियाली जिला फलोदी के खेत खसरा नम्बर 230/2 रकबा 8.2556 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 230 रकबा 4.1925 हैक्टेयर भूमि में अपने पैतृक 1/3 हिस्से की खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थीया पक्ष में और अप्रार्थीगण संख 1 व 3 के विरूद्व इस आशय की जारी की जावे कि उपरोक्त वर्णित खसरान् की भूमि में अपने पैतृक हिस्से में चले आ रहे शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखल अंदाजी न तो अप्रार्थीगक संख्या 1 ता 3 स्वयं करे और न ही किसी अन्य से करावे। जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गयी और प्रार्थना पत्र रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की और से राणीदानसिंह ने मूल वाद में वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 व 3 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की और से कोई उपस्थित नहीं आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। पत्रावली बहस में रखी गयी।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सुनी गयी। पत्रावली में सलंग्न प्रार्थना पत्र, जमाबंदी, नामान्तरकरण, नजरी नक्शा इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओ के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है–

<u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वादपत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विश्वाश करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया आराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि मामला पूर्णतया सिद्व कर दिया जाये क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

वादगस्त भूमि की जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 ग्राम ग्राम रोहिणा पटवार क्षेत्र रोहिणा के खसरा नम्बर 230/2 रकबा 8.2556 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 230 रकबा 4.1925 भूमि के अभिलिखित खातेदार है। वादग्रस्त भूमि वक्त पूर्व खातेदार जोगराज पुत्र जेठमल के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। जोगराज के फौत होने पर वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व इनकी माता पानी बाई के नाम जरिये विरासत नामान्तरकरण दर्ज किया गया। प्रार्थीया जोगराज की जायन्दा पुत्री है। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीया का पैतृक हक हिस्सा बनता है या नहीं इस

सहायक कलेक्टर
वाप (फलोदी)

का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सुनवाई उपरान्त ही तय किया जाना है। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में भली भांति साबित होता है।

सुविधा का संतुलन

सुविधा के संतुलन से तात्पर्य है कि यदि व्यादेश नहीं दिया जाता है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या प्रतिपक्षी को।

प्रार्थना पत्र और जमाबंदी, नामान्तरकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया की पैतृक सम्पति है। वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 के नाम खातेदारी की दर्ज होने से अगर अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्व अप्रार्थीगण जारी नही की जाती है तो प्रार्थीया अपने पैतृक हिस्से से वंचित हो सकती है। अतः सुविधा का सन्तुलन बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

अपूर्णीय क्षति

अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक ऐसी 'तात्विक क्षति' से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नहीं की जा सकती।

चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी का दावा अन्तर्गत धारा 88,91,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विचाराधीन है और प्रथम दृष्ट्या मामला और सुविधा का सन्तुलन दोनों बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में साबित हुवे है।

अतः न्यायालय का अभिमत है कि प्रार्थीया के पक्ष में तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णनीय क्षति साबित होने से अस्थाई व्यादेश का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा भली भांति साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीया विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक ग्राम रोहिणा पटवार क्षेत्र रोहिणा के खसरा नम्बर 230/2 रकबा 8.2556 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 230 रकबा 4.1925 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थीगण प्रार्थीया के पैतृक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि में दखलअंदाजी न करे तथा मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुवरण पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
24/4/2026	पत्रावली पेश हुई। वकालतनामा पक्ष उपरोक्त वकील आपत्तिकर्ता को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया है लिहाजा इनका जवाब बंद किया जाता है। वकील आवेदक की बहस सुनी। मैंने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया बाद चिंतन मनन एवं अवलोकन के प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल हुआ है। नतीजे से [illegible] में जाकर दाखिल दफ्तर की जावे। 21/4/26 (पुखराज निर्वाण, RJS)	